संख्या : क0नि0–5–3420/11–2000–500(डब्लू–118)/2000

प्रेषक,

टी0 जार्ज जोसेफ,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त, जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश
2. समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
उत्तर प्रदेश
3. समस्त उप /सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश
4. समस्त उप निबन्धक,
उत्तर प्रदेश

कर एंव निबन्धन अनुभाग–5 लखनऊ दिनांकः 10 अगस्त, 2000

विषय : ईसाई समुदाय के चर्च कब्रिस्तान आदि की सम्पत्तियों के हस्तान्तरण के विलेख की रजिस्ट्री के सम्बन्ध में।

महोदय,

रिट याचिका संख्या–1523(एम0बी0)/2000, चर्च आफ इण्डिया आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांकः 07.04.2000 को अपने निर्णय में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को याचीगणों के प्रत्यावेदन को प्राप्त करके उस पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। चर्च ऑफ इण्डिया एवं श्री अरूण कुमार डीन ने अपने प्रत्यावेदन दिनांकः 19.04.2000 में यह अनुरोध किया है कि उपासना स्थल अधिनियम, 1991 की धारा–2 एवं 3 चैरिटेबल इंडोवमेंट एक्ट, 1980, लैण्ड रिकार्ड मैनुअल तथा नजुल मैनुअल के अन्तर्गत क्रिश्चियन मिशनरियों, चर्च/गिरिजाघरों, कब्रिस्तानों एवं इस आशय की नजुल दर्ज जमीनों को किसी भी व्यक्ति द्वारा बेचने, खरीदने, बंधक करने तथा पट्टा करने का अधिकारी नही है और न ही ऐसी सम्पत्तियों के स्वरूप को सम्बन्धित जिलाधिकारी की पूर्वानुमति के बिना बदला ही जा सकता है।

2. इस संबन्ध में आप से यह कहने का निर्देश मिला है कि कृपया उपरोक्त प्राविधानों का अध्ययन कर लें एवं जिस प्रकार के हस्तांतरण नियन्त्रित किये गये है अथवा जिनके लिए जिलाधिकारी की पूर्वानुमति आवश्यक हो, उस प्रकार के हस्तान्तरण के विलेख बिना समुचित अनुमति के आदेश प्रस्तुत किये, रजिस्ट्री के लिए ग्रहण न करें।
3. कृपया इन निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पत्र की प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0अस्पष्ट
(टी0जार्ज जोसेफ)
प्रमुख सचिव

<u>पत्र संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार :</u>

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(टी0जार्ज जोसेफ)
प्रमुख सचिव।